न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 118 / 2022 — तारीख फैसला 12.11.2022

उनवान

1– सुरती बाई उर्फ सरस्वती बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी श्रीनाथ जाति भील निवासी खैरूला तहसील दीगोद हाल निवास ग्राम चलेट पं0 पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से -- श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खैरूला तहसील दीगोद में वादीनी के शामलाती खाते में खाता सं0 257 नया, 236 पुराना की खसरा नं0 559 रकबा 0.27 हे0, एवं खसरा नम्बर 242 व 244 की 1.60 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादीनी का नाम सरस्वती बाई दर्ज है जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी में वादीनी का नाम सरस्वती बाई दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीनी का समस्त दस्तावेजों में वादीनी का नाम सुरती बाई है। जिससे वादीनी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादीनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैक डायरी, आदि में वादीनी का नाम सुरती बाई है। वादीनी का नाम ग्राम खैरूला की जमाबन्दी में सरस्वती दर्ज होने से परेशान उत्पन्न हो रही है। इसलिए वादीनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीनी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम खैरूला तहसील दीगोद में वादीनी के शामलाती खाते में खाता सं0 257 नया, 236 पुराना की खसरा नं0 559 रकबा 0.27 हे0, एवं खसरा नम्बर 242 व 244 की 1.60 हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम सरस्वती बाई के

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

दीगोद जिला कोटा (राज.)

स्थान पर सुरती बाई दर्ज किया जाकर राजस्व [illegible] में दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार [illegible] किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद एवं नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाब में सरस्वती बाई एवं सुरती बाई एक ही महिला [illegible] किया है। वादीनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य खातेदार का [illegible] पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। [illegible] में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का [illegible] स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया [illegible] ग्राम [illegible] तहसील दीगोद में वादीनी के शामलाती खाते में खाता सं0 257 [illegible] की खसरा नं0 559 रकबा 0.27 हे0, एवं खसरा नम्बर 242 व 244 की 1.6[illegible] वादीनी का नाम सरस्वती के स्थान सरस्वती बाई उर्फ सुरती बाई दर्ज किये [illegible] व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री [illegible] में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को रा[illegible] कम्प दीगोद में सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)